



बिहार सरकार

फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र  
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)  
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - सन्हीला

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2025/112150

दिनांक : 25/02/2025

प्रमाणित किया जाता है कि ब्युटी कुमारी(Beauti Kumari), पिता-अनिल ठाकुर(Anil Thakur), माता-रुबी कुमारी(Rubi Kumari), ग्राम/मोहल्ला-गोविंदपुर, पोस्ट-महियामा, थाना- सन्हीला, प्रखंड-सन्हीला, अनुमंडल-कहलगाँव, जिला-भागलपुर, राज्य बिहार नाई समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में अनुक्रमांक 44 पर अंकित है। अतः ब्युटी कुमारी, पुत्री- अनिल ठाकुर, माता-रुबी कुमारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) की है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आती है।

स्थान : सन्हीला

दिनांक : 25/02/2025



Digitally signed by Ramesh Chandra Ray  
Date 2025.02.25 07:10:02 +05:30

राजस्व अधिकारी सन्हीला  
(हस्ताक्षर)

QR Code को जीए <https://serviceonline.bihar.gov.in> पर टैप करें एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से स्कैन करें।  
नोट: QR को डिजिटल लॉकर पर भी उपलब्ध है।